अति तत्काल
आर टी आई मामला

सं. 14036/493/2013-यू टी पी
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
* * *

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,
दिनांक: 19/08/2013

सेवा में

श्री अनुरुद्ध कुमार यादव,
773, प्रथम तल,
आर्य समाज मंदिर के पास,
लेखूनगर, त्रीनगर,
नई दिल्ली-110035

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आपका दिनांक 18.06.2013 का आवेदन।

महोदय,

मुझे सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आपके उपर्युक्त आवेदन (इस अनुभाग में दिनांक 12.07.2013 को प्राप्त) का हवाला देने का निदेश हुआ है।

2. इस संबंध में यह सूचित किया जाता है कि आपकी शिकायत इस मंत्रालय के दिनांक 19.07.2013 के पत्र सं. 14036/10/2013-यू टी पी के तहत पहले ही दिल्ली पुलिस को अग्रेषित की जा चुकी है और इसलिए सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के तहत आपका आर टी आई आवेदन भी दिल्ली पुलिस को उनकी ओर से आवश्यक कार्रवाई करने हेतु अंतरित किया जा रहा है।

3. इस उत्तर के संबंध में, गृह मंत्रालय में, अपील प्राधिकारी का नाम और पदनाम श्री के.के. पाठक, संयुक्त सचिव (यू टी), गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली है।

भवदीया,

(एस. सुधा)
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी एवं
अवर सचिव (डी पी-II)
दूरभाष: 23092856

प्रतिलिपि प्रेषित :

उपायुक्त, लोक सूचना अधिकारी, पुलिस मुख्यालय, आई पी एस्टेट, नई दिल्ली- आर टी [illegible]न की एक प्रति इसके साथ इस अनुरोध के साथ संलग्न की जाती है कि मांगी गई [illegible]वेदक को भेजी जाए। आवेदक ने अपेक्षित शुल्क इस मंत्रालय में जमा करा दिया

2036
16/8